**कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां :**

| क्र. सं. | अनुपूरक लेखा परीक्षा टिप्पणी | प्रबंधवर्ग का उत्तर |
|---|---|---|
| 01 | **निधियों के स्रोत**<br>**आरक्षित एवं अधिशेष**<br>**सामान्य आरक्षित: 633.5 मिलियन रुपए**<br><br>सामान्य आरक्षित का अंत शेष पूंजी आरक्षित में से 80,280.9 मिलियन रुपए की राशि अन्तरित कर प्राप्त हुई । यह राशि वर्ष 2007–08 में इस खाते में नामे डाली गई थी (निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 22 अगस्त, 2007 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार ट्रांसफरर कंपनियों को दिए गए अंशों के मूल्य से ज्यादा भूमि तथा भवनों जैसी अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन में अधिकता) । इसके परिणामस्वरूप, 2008–09 तक की 77,744.2 मिलियन रुपए की संचित हानि (पिछले वर्ष– 22261.6 मिलियन रुपए एवं वर्तमान वर्ष 55482.6 मिलियन रुपए) को समायोजित किया गया है । वित्तीय तथा पूंजीगत पुनर्संरचना करने तथा प्रमुख वित्तीय अनुपात में सुधार लाने के लिए निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 2009 के संशोधित आदेश के संदर्भ में कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान पूंजी आरक्षित में से 80,280.9 मिलियन रुपए की राशि को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया ।<br><br>तथापि, उपर्युक्त लेखाकरण प्रक्रियाओं को निम्नलिखित के संदर्भ में देखे जाने की आवश्कता है :–<br><br>(i) कंपनी ने चालू वर्ष में, 80,280.9 मिलियन रुपए की राशि को पूंजी आरक्षित से सामान्य आरक्षित में अंतरित करने से पूर्व, लीज़ पर ली गई संपत्तियों के टाइटल में प्रतिबंधक कारकों (लीज़ को समाप्त करना, आरंभ से लीज़ करारों का मौजूद न होना तथा समाप्त हुई लीज़) को हटाया नहीं गया था जिससे संपत्तियों के उचित मूल्य को क्षति हुई । (इस संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या घ(ii) देखें) | (i) कंपनी संपत्ति के स्वामित्व विलेख पत्रों में त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया में है ।<br><br>हालाकि एल एंड डी ओ ने वर्ष 1993 में वसंत विहार संपत्ति की लीज़ को रद्द कर दिया था, फिर भी कंपनी नियमित रूप से सम्पत्ति का भूमि के किराए (अर्धवार्षिक) का भुगतान कर रही है जिसे एल एवं डी ओ कार्यालय द्वारा बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जा रहा है । कंपनी ने कानूनी राय के आधार पर इस संपत्ति का मूल्यांकन किया है । खातों में इस संपत्ति के संबंध में यथोचित खुलासा किया गया है।<br><br>मौजूदा दावे इस तथ्य से संतोषजनक हैं कि कंपनी के पास उन संपत्तियों का वास्तविक कब्ज़ा है जो निरंतर प्रयोग में |

| | | |
|---|---|---|
| | | लाई जा रही हैं । यह तथ्य कि कंपनी के पास बिना किसी मुकदमेबाजी के इन संपत्तियों का खाली और शांतिपूर्ण कब्ज़ा है, अपने आप में इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि इन संपत्तियों के संबंध में इनका स्पष्ट और पूर्ण स्वामित्व है । प्रबंधन यथासमय वसंत विहार संपत्ति के टाइटल डीड की बहाली प्राप्त करने के लिए प्राधिकारियों के साथ निश्चित रूप से प्रयास करता रहेगा । समामेलन योजना के अनुसार, मूल्यांकन सरकार से अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा अत्यंत कड़ाई से किया गया है, जो दर्शाता है कि संपत्तियों को अंतरिती कंपनी के बही खातों में 'उचित मूल्य' पर दर्शाया जाए । |
| | (ii) बाज़ार दरों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में कंपनी के लेखों में शामिल फ्री–होल्ड भूमि के मूल्य के औचित्य को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। कंपनी ने पट्टादाताओं (भूमि और विकास कार्यालय, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र, नवी मुम्बई का नगर एवं औद्योगिक विकास निगम) के मानक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जिसके अनुसार इन पट्टादाताओं का पट्टेधारी को दी गई लीज़ भूमियों के मूल्य में अनर्जित वृद्धि का 50 प्रतिशत पर दावा होता है । (इस संबंध में संदर्भित 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या घ(i तथा iii)) | (ii) मूल्यांकक द्वारा अपनाई गई पद्धति उचित बाज़ार दरों पर आधारित थी जिसे अन्यथा प्रत्यक्ष विक्रय पद्धति भी कहा जा सकता है । प्रत्यक्ष विक्रय पद्धति के तहत बाज़ार दरें दलालों/एजेंटों से प्राप्त की जाती हैं तथा लेन–देन का निर्धारण इच्छुक खरीदारों तथा इच्छुक विक्रेताओं के आधार पर होता है जो विनिमय किए जा सकने वाले मूल्य के आधार पर होता है । इन दलालों/एजेंटों को आसपास के इलाकों में किए गए तुलनात्मक लेन–देन के आधार पर इन दरों का बोध होता है तथा भूमि/बिल्डिंगों के आकार, व्यवहार्यता, अनियमितता, आकृति आदि के लिए समायोजन घटक को सम्मिलित किया जाता है जिससे दलालों द्वारा दी जाने वाली दरों पर प्रीमियम या छूट दी जाती है तथा इनके आधार पर संपत्ति की अंतिम दर का निर्धारण किया जाता है । मूल्यांकक ने मूल्यों के औचित्य पर अपने आपको संतुष्ट किया है तथा कंपनी ने इन मूल्यांककों के विशेषज्ञ मत पर विश्वास है ।<br><br>कब्जे और स्वामित्व के उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर कंपनी को विक्रय पर अनर्जित राशि के 50 प्रतिशत की भागीदारी के अनुबंध का कोई बोध नहीं है । तथापि, एल एंड डी ओ भूमि के लिए मामूली प्रभारों के भुगतान द्वारा लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन करने की योजना दिल्ली में भी उपलब्ध है । हम समझते हैं कि मूल्यांककों ने संपत्ति का मूल्यांकन करते समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर लीज़ होल्ड भूमि के रूप में संपत्ति का मूल्यांकन किया है । |
| | (iii) अनुसूची च– स्थिर परिसंपत्तियों में फुटनोट संख्या 5 पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है । फ्री–होल्ड तथा लीज़ भूमि में 52,525.7 मिलियन | (iii) अनुसूची ख–'आरक्षिति अधिशेष' में जैसे दर्शाया गया है, ट्रांसफर किए गए शेयरों से ज्यादा उचित मूल्य की अधिकता को दर्शाने वाली 80,280.9 मिलियन रुपए की |

| | | |
|---|---|---|
| | रुपए की भूमि भी शामिल है जिसके लिए पंजीकरण डीड कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं की गई है।<br><br>अतः, पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से संबंधित संचित हानियों के समायोजन, वसूल नहीं हुए लाभ जो स्वयं उपर्युक्त पैरा (i) से (iii) में उल्लिखित कारकों द्वारा प्रभावित थे, वे सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार नहीं हैं। | संपूर्ण राशि को पूंजी आरक्षिति से सामान्य आरक्षिति में ट्रांसफर कर दिया गया है ।<br><br>वसंत विहार संपत्ति के संबंध में, प्रबंधन ने उपयुक्त स्तर पर लीज़ डीड को पुनः स्थापित करने के लिए पहले से ही कार्रवाई कर दी है । यह सूचित किया गया कि लीज़ डीड को पुनः स्थापित करने के लिए प्रबंधन द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। इसके मद्देनज़र इन अचल संपत्तियों के उचित मूल्य को दुबारा तय करने की आवश्यकता नहीं है ।<br><br>अनुसूची 'च' स्थिर परिसंपत्तियों के फुटनोट 5 में दर्शाई गई राशि 52,525.7 मिलियन रुपए है । इस राशि में से मुख्य राशि अर्थात 51,295.1 मिलियन रुपए वसंत विहार संपत्ति की है ।<br><br>अंतरिती कंपनी के लेखों में दर्शाई गई लेखाकरण पद्धति समामेलन योजना में खंड 4.2 भाग III के अंतर्गत निर्धारित की गई है । खंड 4.2 के अनुसार, अंतरिती कंपनी द्वारा आबंटित शेयरों के मूल्य से ऊपर अंतरित कंपनी की निवल परिसंपत्तियों के अधिकतम मूल्य को, जिसे अंतरिती कंपनी में अंतरित कर दिया गया हो, सामान्य आरक्षिति लेखे में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसे स्वतंत्र आरक्षिति के रूप में माना जाएगा तथा यह अंतरिती कंपनी को ऐसे उद्देश्यों के लिए प्राप्त होगा जिसके तहत अंतरिती कंपनी केवल लाभांश की घोषणा ही नहीं कर सकेगी अपितु अपने स्वयं के निर्णय पर इसे समुचित रूप से सम्मिलित करने पर विचार कर सकेगी ।<br><br>तदनुसार, इस खंड के लिए अंतरित शेयरों पर 'उचित मूल्य' की अधिकता को सामान्य आरक्षिति में अंतरित कर दिया गया तथा कंपनी ने संचित हानि को कंपनी की सामान्य आरक्षित के विरूद्ध समायोजित कर दिया जिसमें यह पुनर्मूल्यांकन आरक्षित सम्मिलित है । |
| | **निवेश : 1,231.80 मिलियन रुपए (अनुसूची छ)**<br><br>उपर्युक्त में गलती से एआई–सैट्स के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम हेतु अग्रिम भुगतान के रूप में 333.9 मिलियन रुपए शामिल हैं जो अभी तक नहीं बना है । इसके परिणामस्वरूप 333.9 मिलियन रुपए का निवेश अधिक दर्शाया गया तथा उतनी ही राशि ऋणों तथा अग्रिम में कम दर्शाई गई । | एअर इंडिया तथा सैट्स के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में नैसिल के निवेश का प्रकटीकरण अनुसूची V वार्षिक लेखों के नोट संख्या 20 ग(ख) में लेखों पर टिप्पणी में दिया गया है । अतः कहीं पर भी कोई राशि कम अथवा अधिक नहीं दर्शाई गई है । |

| | | |
|---|---|---|
| | | सैट्स के साथ संयुक्त उद्यम करने के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा संयुक्त उद्यम बनाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूरी कर दी जाएंगी । व्यावसायिक गतिविधि संघ व्यवस्था के अंतर्गत एअर इंडिया/सैट्स के संयुक्त उद्यम के अंतर्गत पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है । केवल संयुक्त उद्यम में पूंजी निवेश हेतु भागीदारी को ही निवेश के अंतर्गत दर्शाया गया है क्योंकि इसे चालू परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिम के अंतर्गत दर्शाया नहीं जा सकता ।<br><br>तद्नुसार, मैसर्स सैट्स के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में नैसिल द्वारा किए गए भागीदारी अंश को ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाने के बजाए व्यापार निवेश अनुसूची –'छ' क्रम सं0 9 में दर्शाया गया है । |
| | **चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम 57,507 मिलियन रुपए (अनुसूची ज से ठ)**<br><br>(i) उपर्युक्त में अनुरक्षण प्रभारों के रूप में पट्टादाता को भुगतान की गई 1,707.6 मिलियन रुपए की राशि कंपनी की लेखांकन नीति ड(ख) के अनुसार पूर्व भुगतान व्ययों में दर्शाई गई शामिल है । चूंकि अनुरक्षण प्रभारों की राशि की गणना उड़ान चक्र/उड़ान घंटे के आधार पर की जाती है, अतः भुगतान किए गए अनुरक्षण प्रभारों को लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के आधार पर व्यय मानना चाहिए था । कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति के कारण पूर्व भुगतान व्यय को अधिक दर्शाया गया एवं 1,707.6 मिलियन रुपए की हानि को कम दर्शाया गया । (इस संबंध में संदर्भित 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या ख 2(i) ) | (i) लेखांकन पद्धति लेखांकन नीति 'ड' – अनुसूची 'प' के अनुसार थी जिसे कंपनी द्वारा निरंतर अपनाया जा रहा है। वास्तविक अनुरक्षण व्यय अनुरक्षण करने के वर्ष प्रभारित किया जाता है ।<br><br>तद्नुसार, पट्टेदाता को अग्रिम रूप से भुगतान किए गए अनुरक्षण अंशदान को पूर्वप्रदत्त व्यय माना जाता है तथा उसे अनुरक्षण करने के वर्ष में प्रभारित किया जाता है ।<br><br>इसे विमान की अनुरक्षण गतिविधि तथा अनुरक्षण आरक्षिति से वापसी के आधार पर वर्ष 2009–10 तथा उसके बाद के वर्षों में प्रभारित किया जाएगा ।<br><br>इस प्रकार वर्ष 2008–09 के लिए चालू परिसंपत्तियों – ऋणों तथा अग्रिमों में अधिक राशि तथा अनुरक्षण व्ययों में कम राशि नहीं दिखाई गई है । |
| | (ii) उपर्युक्त में स्थल सहायता व्यवस्था के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से वसूली योग्य दर्शाए गए 1,019.9 मिलियन रुपए शामिल हैं। कंपनी ने वर्ष 1995 में 30:70 के अनुपात पर एएआई के साथ मौजूदा राजस्व भागिता करार पर विवाद उठाया तथा एएआई के स्थिर लागत को क्रमशः 30 मिलियन से बढ़ाकर 50 मिलियन तक करने के साथ–साथ | (ii) इस मद के अंतर्गत दर्शाए गए 1019.9 मिलियन की राशि जीएचए के लिए एएआई से वसूली योग्य परिकलित एआई की उस राशि से संबंधित है जो 4 मई, 1997 से लेकर 3 नवम्बर, 2002 तक एएआई के पास थी । इस अवधि के दौरान, राजस्व भागीदारी व्यवस्थाएं तथा एआई द्वारा वार्षिक निर्धारित प्रतिधारण में 31 मार्च, 1992 तक आवधिक परिवर्तन हुए जबकि मुम्बई में कार्गो परिसर पर एअर इंडिया एएआई के साथ कुल राजस्व को 70:30 के |

| | | |
|---|---|---|
| | 50:50 भागिता का प्रस्ताव दिया जो अभी तक एएआई द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है । तथापि, कंपनी ने 2006–07 में अंतर राशि (20 प्रतिशत) के लिए दावा किया तथा 1,019.9 मिलियन रुपए राजस्व के रूप में माने गए । चूंकि एएआई ने प्रस्तावित परिशोधन स्वीकृत नहीं किया था अतः उक्त राशि की वसूली अनिश्चित थी तथा इस राशि को राजस्व मानना लेखाकरण मानक 9 के अनुसार नहीं है। अतः 1,019.9 मिलियन रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप 1,019.19 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शाई गई तथा इतनी ही राशि के ऋणों तथा अग्रिमों को अधिक दर्शाया गया । | आधार पर बांटती थी जिसमें एएआई का हिस्सा 70% था। राजस्व की हिस्सेदारी की गणना 30 मिलियन रुपए के स्थिर व्ययों को घटाने के उपरांत निकाली गई थी ।<br><br>उपर्युक्त तिथि के बाद, एआई के व्ययों में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर दिनांक 05 मई, 1995 को एआई तथा एएआई के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें एएआई ने 01 अप्रैल, 1995 से एआई की निर्धारित राशि को 30 मिलियन रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 50 मिलियन रुपए करने तथा राजस्व की हिस्सेदारी 50:50 करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।<br><br>चूंकि इस मामले पर एएआई से कोई जवाब नहीं मिला था, अतः एआई ने इस मामले के समाधान के लिए पहले 18 मार्च, 2006 को तथा फिर 17 मई, 2006 को एएआई के साथ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की । एएआई ने विचारार्थ अवधि के दौरान इस संयुक्त प्रयास से संपूर्ण राजस्व अर्जन की मांग की तथा उक्त बैठकों में एएआई के कार्मिकों को व्यक्तिगत रूप से सौंप दिया गया ।<br><br>उक्त बैठकों के दौरान दिए गए आश्वासनों के बावजूद भी इस पर एएआई से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई तथा कोई विकल्प नहीं बचने पर एआई ने एएआई की देय राशि के लिए कहा तथा कार्गो परिसर में राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के लिए प्राप्त की जाने वाली राशि के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष में एएआई पर 1019.9 मिलियन रुपए का एक इन्वॉइस जारी किया ।<br><br>हालांकि अप्रैल, 1994 से नवम्बर, 2002 तक एएआई से उपलब्ध विभिन्न सेवाओं तथा टीएसपी प्रभारों में परिवर्तन जैसे उनके भुगतान हमारे द्वारा किए जाने हैं, इन्हें स्थल सहायता करार के लिए एएआई से 1019.9 मिलियन रुपए की लंबित वसूली के तौर पर लेखों के खातों में बकाया ऋणों के रूप में रख दिया गया है । हालांकि वसूली योग्य राशि को भुगतान करने वाली राशि, जो वसूली योग्य राशि से ज्यादा है, से समायोजित किया जाएगा । अतः संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान का प्रश्न ही नहीं उठता । |